संख्या–आवं. 19/सत्तर–रा0से0यो0को0–18–21/2017

प्रेषक,

अंशुमालि शर्मा,
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग **लखनऊः दिनांक** 17 **दिसम्बर, 2018**

विषयः–वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय सेवा योजना–नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या का अन्तिम आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना के पत्रांक–409/रा.से.यो.म.गां.का.वि.पी. वाराणसी, दिनांक 30–07–2018 एवं पत्रांक–407/रा.से.यो.म.गां.का.वि.पी. वाराणसी, दिनांक 13–07–2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन में प्राप्त प्रस्ताव/रिपोर्ट/2017–18 की गतिविधियों की रिपोर्टो के मूल्यांकन एवं रिपोर्टो के परीक्षणोपरान्त वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय सेवा योजना–नियमित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नानुसार छात्र संख्या आवंटित की जाती हैः–

क0सं0	महाविद्यालय का नाम	वर्ष 2017–18 के लिए आवंटित छात्र संख्या	वर्ष 2018–19 के लिए आवंटित छात्र संख्या
1	2	3	4
1.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी परिसर (विश्वविद्यालय परिसर)	2,200	2,200
2.	महात्मा गाधी काशी विद्यापीठ एन.टी.पी.सी. परिसर शक्तिनगर सोनभद्र	200	200
3.	उदय प्रताप कालेज वाराणसी	300	300
4.	महादेव स्नाकोत्तर महाविद्यालय बरियासनपुर, वाराणसी	200	200
5-	डॉ0 राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भैरवतालाब राजातालाब, वाराणसी	300	300
6-	आदर्श जनता महावि9द्यालय कोलना चुनार मीरजपुर	100	200
7-	रामखेलावन सिंह महाविद्यालय कलावाडी मडिहान मिर्जापुर	100	100
8-	एस0एस0पी0पी0डी0 महाविद्यालय तिसुही मड़ियान मीरजापुर	100	100
9-	स्वामी सहजानन्द पी0जी0 कालेज कछवॉ मीरजरपुर	100	100
10-	स्व0 रामविलास सिंह शिक्षण संस्था महाविद्यालय विजयपुरवॉ सिकन्दरपुर चकिया चन्दौली	100	100
11-	पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय पलही पट्टी वाराणसी	100	100
	योग–	**3,800**	**3,900**

Kml

2– उपरोक्त तालिका के कालम–4 में उल्लिखित सामान्य कार्यक्रम की छात्र संख्या का 50 प्रतिशत विशेष शिविर आयोजन हेतु आवंटित छात्र संख्या मानी जायेगी। उपरोक्त आवंटन में नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संबंधित संस्थाओं को इकाई आवंटन की सूचना प्रेषित करते हुए पंजीकरण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

4– विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से शासन को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।

5– भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई–मेल के माध्यम से एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन व क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।

6– इकाइयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ (7×2)=14 पृष्ठ), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ (×7) संलग्न होनी चाहिए एवं वर्ष भर किये गये नियमित कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट (कम से कम 08 पृष्ठ की फोटो सहित)। रिपोर्ट की हार्ड कापी कार्यक्रम समन्वयक को व साफ्ट कापी शासन व कार्यक्रम समन्वयक दोनों को प्रेषित करें।

भवदीय,

(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

<u>संख्या–आवं. 19(1)/सत्तर–रा0से0यो0को0–2018 तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0 1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।
3. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा0से0यो0, सेंट जान्स कालेज, आगरा।
4. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, इण्डियन लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड, लखनऊ
5. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा0से0यो0, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
6. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित वि0वि0, उ0प्र0।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।